

of DDT from foodgrains. What the Government intends to do in this respect is of great interest to us, and we would like to know what the proposals are and how soon they would stop the use of DDT for plant protection.

**SHRI ANNASAHIB SHINDE :** I have already replied to the main points raised by the hon. Member. In fact, we do not advise DDT for plant protection as I have already mentioned, and various research activities are on. The hon. Member should not rush to conclusions,—I know she was once in charge of health—but the use of DDT is being discontinued.

**DR. SUSHILA NAYAR :** It is not rushing to a conclusion.

**SHRI ANNASAHIB SHINDE :** As I said, we are trying to be cautious about the matter, and under the Insecticides Act which has been enacted by the House, necessary steps are being taken to look into this matter.

**SHRI P. GOPALAN :** Many countries have already banned the use of DDT on the advice of medical experts that this insecticide is a major source of cancerous attack on the human body. Sometime back there was a report in the Indian press that the Government of India would also consider this question whether the use of DDT should be banned or not. Considering the vital role played by DDT in increased food production the Government of India decided not to ban it because according to them the percentage of people dying due to cancerous attack is much less than the percentage of people dying of hunger. I should like to know from the hon. Minister whether that is the reason why DDT has not been banned in this country ?

**SHRI ANNASAHIB SHINDE :** I have already explained the position. I shall take up the matter again and we shall review it once more in consultation with the Health Ministry.

**Complaint by Members of Parliament  
Regarding Inadequate Notice for  
Disconnection of Telephones**

+  
\*214. **SHRI YASHPAL SINGH :**  
**SHRI R. R. SINGH DEO :**  
**SHRI P. K. DEO :**

Will the Minister of INFORMATION

AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether many Members of Parliament have recently complained to his Ministry that the telephone authorities all over India do not give adequate notice to subscribers before disconnecting their telephones for non-payment of telephone bills ; and

(b) if so, the decision taken by his Ministry to avoid such complaints in future ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF INFORMATION AND  
BROADCASTING, AND IN THE  
DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS  
(SHRI SHER SINGH) :** (a) No, Sir. However, at a recent meeting of the Consultative Committee, some Members of Parliament spoke of difficulties experienced due to sudden disconnections, and they were asked to quote specific cases, if any. Nothing has been heard from them so far.

(b) Does not arise.

**श्री यशपाल सिंह :** मैं हिन्दी समझता हूँ और मिनिस्टर साहब हिन्दी बोलते हैं। उनको हिन्दी में ही जवाब देना चाहिए। अगर मेरे से गलती हो गई हो, कोई सवाल अंग्रेजी में दे दिया हो तो मन्त्री महोदय का यह फर्ज नहीं है कि वह भी गलती करें।

**अध्यक्ष महोदय :** दोनों का बन्दोबस्त है। आप जरा कान में माइक लगाइये तो हिन्दी में भी आपको पता लग जायेगा। साथ-साथ हिन्दी में भी आ रहा है। (व्यवधान)...

**श्री शेर सिंह :** चूँकि सवाल अंग्रेजी में किया गया था इसलिए मैंने अंग्रेजी में उत्तर दिया। हिन्दी में भी दे रहा हूँ :

(क) जी हाँ। फिर भी सलाहकार समिति की हाल की बैठक में कुछ संसद् सदस्यों ने अचानक कनेक्शन काटे जाने के कारण अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया था। उनसे कहा गया था कि यदि कोई खास

मामले हों तो वे लिखें। अभी उनसे इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री यशपाल सिंह :** कनेक्शन काटने के बजाय उन पर जुर्माना किया जाये, उनसे नुकसान वसूल किया जाय लेकिन काम रोकने से और स्टेट की प्रगति रोकने से क्या फायदा होता है ?

**श्री शेर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, अभी भी पिछले बहुत सारे करोड़ों रुपये के बिल पड़े हुए हैं जिनको कि वसूल करना बाकी है। अगर इसी ढंग से ढील करते जायें कि 15 दिन का नोटिस दें तो भी पे न करें, सात दिन का और मौका दें तो भी पे न करें और उसके बाद भी कनेक्शन काटने की बात न करें तो फिर जिस तरह से पिछले सालों में करोड़ों रुपये के बिल इकट्ठे हो गए हैं वह रकम और भी बढ़ जायेगी।

**श्री यशपाल सिंह :** हम जब तनख्वाह लेने जाते हैं तो बार-बार पूछते हैं कि अगर पानी, बिजली और टेलीफोन के बिलों का अगर कोई पैसा बाकी हो तो वह काट लिया जाये लेकिन उस वक्त तो काटते नहीं, हम लिख कर भी देते हैं तो भी नहीं काटते हैं लेकिन बीस दिन के बाद हम आकर के देखते हैं कि पानी, बिजली और टेलीफोन का कनेक्शन बन्द है। इसके लिए सरकार कोई रूल नहीं बनाती ? टैक्स वाले से टैक्स में, तनख्वाह वाले से तनख्वाह में और जमींदारी वाले से जमींदारी में से वह पैसा काट लिया जाये—इस प्रकार का कोई नियम सरकार बना दे।

**श्री शेर सिंह :** हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर का अगर बैंक में एकाउंट हो और अगर वह हिदायत दे दे तो बैंक से उसके बिल का पैसा वसूल कर लिया जाये। ऐसा हम करना चाहते हैं और इस पर विचार भी कर रहे हैं।

**SHRI ANBAZHAGAN :** Would the hon. Minister tell us whether the arrears of Rs. 5 or 6 crores to the telephone department is solely from the Members of Parliament and whether the hon. Minister has taken any steps .....(Interruptions). The question pertains to Members of Parliament.

**MR. SPEAKER :** Arrears of Rs. 5 crores are due from other persons, not on Members of Parliament. He complained about it. He said that no connections were cut from any Parliament Member; there are no arrears from them.

**SHRI ANBAZHAGAN :** Even then, I would like to know from the hon. Minister whether the department takes any proper steps to collect those arrears or whether those arrears are to be written off after some-time. I would like to know whether the Telephone Department takes proper steps so that these arrears are collected, because we have to develop the department in order to facilitate the village and the rural people.

**SHRI SHER SINGH :** We are taking all possible steps to collect the arrears. We write letters to them and send reminders to them, and we disconnect their telephones; if necessary, we even go to the courts of law to sue them also to make payments.

**श्री मधु लिमये :** क्या मंत्री महोदय की नजर में यह बात आई है कि जो सत्तावान और प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनका टेलीफोन सम्बन्धी हजारों रुपया बाकी रहता है लेकिन उनका कोई टेलीफोन नहीं काटता है ? मेरे पास एक केस आया है आपके पास भेजा है, जिसमें केवल साढ़े तीन रुपया टेलीफोन के बिल का भुगतान होना बाकी था, वह कोई दक्षिण का आदमी था तो उसका टेलीफोन काट दिया। क्या मंत्री महोदय सदन को आश्वासन देंगे कि इस तरह की घाँघलियाँ नहीं होंगी और जो प्रभावशाली और सत्तावान व्यक्ति हजारों और लाखों रुपया बकाया रखते हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जायेगी।

सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री

(श्री सत्य नारायण सिंह) : माननीय सदस्य को मैं बतलाना चाहता हूँ कि उनकी चिट्ठी आई थी और मैं उसकी जाँच करा रहा हूँ। अब हम लोगों ने उस अभी के 5 रुपये के लिमिट को बढ़ा कर 25 रुपया कर दिया है अर्थात् 25 रुपये तक अगर टेलीफोन के बिल का भुगतान निश्चिन्त अवधि तक नहीं हुआ हो तो टेलीफोन नहीं काटा जा सकेगा। पहले वह 5 रुपये होता था अब हम ने उसको बढ़ा कर 25 रुपये कर दिया है। लेकिन साढ़े तीन रुपये तो कभी नहीं था, पाँच रुपये अलबत्ता था जिसको कि अब हमने बढ़ा कर 25 रुपये कर दिया है।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। जब अमुक व्यक्ति के ऊपर टेलीफोन का केवल साढ़े 3 रुपये बकाया था तो उसका टेलीफोन कैसे काट दिया गया ?

श्री सत्य नारायण सिंह : उस केस का जहाँ तक सम्बन्ध है तो उसके लिए कारण तो बाद में प्रकट हो जायेगा बाकी जैसा मैंने कहा यह लिमिट 25 रुपये है जो अब हमने 5 के बजाय कर दिया है। यह 25 रुपये काफी हो गया है और 25 में फर्क नहीं कर सकेंगे।

श्री मधु लिमये : मैंने काफी या नाकाफी के लिए नहीं कहा। मेरी बात बिलकुल दूसरी थी और वह यह कि क्या यह सही नहीं है कि सत्तावान और प्रभावशाली लोगों के टेलीफोन हालाँकि उनके ऊपर हजारों और लाखों रुपया बकाया था उनके टेलीफोन नहीं काटे जाते हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : ऐसे तमाम डिफाल्टर्स के टेलीफोन काट दिये गये यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स के भी जो कि डिफाल्टर्स थे उनके भी टेलीफोन काटे जा रहे हैं। इसमें कोई भेद नहीं किया जाता। यह जो पुराना रूल है वह इस मामले में बढ़ा इफेक्टिव साबित हुआ है ऐरियर्स के वसूल करने में।

श्री गुलाम मुहम्मद बरहशी : आनरेबुल मिनिस्टर ने कहा कि आयन्दा ऐसा नहीं होगा, बाकी मैं दूसरे का क्या कहूँ खुद मेरा अपना टेलीफोन पौने 3 रुपये की अदायगी बकाया रहने के सबब से काट दिया गया और अब तक वह वैसे ही है। लेकिन मुझे उससे शिकायत नहीं है। टेलीफोन के बिल का जब पैसा नहीं देते हैं तो टेलीफोन का काटना ठीक है लेकिन मंत्री महोदय ने जैसे बतलाया कि कोई 5 करोड़ रुपया टेलीफोन का बकाया अभी लोगों से वसूल होना है तो वह कारगर तरीके से जल्द वसूल होना चाहिए।

दूसरे बिल्स जो भेजे गये हैं वह इस कदर गलत हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। जब डिपार्टमेंट के साथ उन्हें रिकंसाइल करने के लिए जाते हैं तो वह अपने उन्हीं पुराने बिलों को ज्यों का त्यों भेज देते हैं और उन पर वह स्टिक करते हैं। कई कैस में हालाँकि उन्हें यह बताया गया कि वह बिल तो अदा कर दिया गया है और उसकी यह रसीद भी मौजूद है लेकिन तो भी वह रिकंसाइल नहीं हो पाता है और यही वजह है कि आपका जो रुपया बकाया रहता है वह बढ़ रहा है और वसूल नहीं होता है। इसलिए मैं अदब के साथ अर्ज करूँगा कि कोई रास्ता सोच लिया जाय ताकि वह बकाया रकम भी कम हो जाय और जिन पार्टीज के खिलाफ वह आउटस्टैंडिंग है वह भी उन्हें अदा कर सकें। उनकी अदायगी होनी बहुत जरूरी है।

شری غلام محمد برہاشی : آئر بیل منسٹر نے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ باقی میں دوسرے کا کیا کہوں خود میرا اپنا ٹیلیفون پونے تین روپے کی ادا بقایا رہنے کے سبب کاٹ دیا گیا اور آئرنگ وہ ایسے ہی ہے لیکن مجھے اس سے شکایت نہیں ہے۔ ٹیلیفون کے بل کا جب پیسہ نہیں دیتے ہیں تو ٹیلیفون کا کاٹنا ٹھیک ہے لیکن منسٹر نے جو دئے جیسے بتلایا کہ کوئی 5 کروڑ روپے ٹیلیفون کا بقایا ابھی لوگوں سے وصول ہونے لگے تو وہ کارگر طریقے سے جلد وصول ہونا چاہئے۔  
دوسرے بیلس جو بھیجے گئے ہیں وہ اس قدر غلط ہیں کہ اس کا کوئی



SHRI P. K. DEO : My question has not been replied to.

MR. SPEAKER : What reply will he give ? He is replying about the arrears of telephone bills.

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI : Is the minister aware that very often the bills are calculated wrongly and even if the mistake is pointed out, it is never corrected ? Is he also aware that there is no proper facility for depositing the money and the subscriber has to wait for hours together in the queue ? By this time the working hours are over and the subscriber has to go a second time. In view of this, will he instruct the department to open more counters for receiving subscriptions ?

SHRI SHER SINGH : Bills are corrected whenever there are complaints and it is found that there was some mistake. Rebate is also given in some cases. If the hon. member has any specific case in mind, if he brings it to my notice, I will enquire into it. About opening more counters for paying bills, this suggestion will be examined.

श्री शिव कुमार शास्त्री : यह टेलीफोनो का बकाया केवल व्यक्तियों के ऊपर न होकर राज्य सरकारों की ओर भी बहुत बड़ी मात्रा में है तो आखिर मंत्री महोदय को ऐसी राज्य सरकारों से बकाया रकम को वसूल करने में क्या कठिनाई है और राज्य सरकारों की तरफ इतनी बड़ी धनराशि बकाया ही क्यों मौजूद है ?

श्री शेर सिंह : यह ठीक बात है कि राज्य सरकारों की तरफ से भी काफी रकम बकाये की भारत सरकार को लेनी है साथ ही भारत सरकार के अपने कई सरकारी महकमों से भी लेनी है। उन सबको हम बकाये का पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं, बार-बार चिट्ठी लिख रहे हैं और लगातार नोनपेमेंट के कुछ केसों में हमने टेलीफोन कनेक्शन भी काट दिये हैं और कुछ केसों में और वसा ही करने की सलाह भी दी गई है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय,

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने टेलीफोन बिलों का पेमेंट नहीं किया और उनके टेलीफोन आप ने काट दिये तो क्या टेलीफोन कटने के बाद भी आज तक उन्होंने आउटस्टैंडिंग बिलों का पेमेंट नहीं किया है ? ऐसी कोई शिकायत क्या मंत्री महोदय के पास आई है ? इस तरह से कितना पंसा डूबा है और उस बकाया पैसे को वसूल करने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं जिससे कि वह आपका बकाया आ जाये ?

क्या यह बात सही है कि काफी दिक्कतें लोगों को टेलीफोन मिलाने में और ट्रंक कौल बुक करवाने वगैरह में आती हैं और उन परेशानियों के दूर करने में और कम करने में कोई विशेष सुधार नहीं किया गया है ?

श्री शेर सिंह : मैंने पहले ही बतलाया कि जो पुराने ऐरियर्स हैं उनको वसूल करने के लिए सभी सम्भव तरीके अपनाते हैं और कनेक्शन भी हम काटते हैं। इसके अलावा अदालत में केस भी हम उसके लिए चलाते हैं।

श्री राम चरण : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सही नहीं है कि वह जो उनका 5 करोड़ रुपये का बकाया निकलता है वह ज्यादातर सरकारी डिपार्टमेंटों के ऊपर बकाया रहने का है। उसका कारण डिफिकिटव एकाउन्टिंग प्रोसीज्योर है। जहाँ तक 50 रुपये तक का बिल का सवाल है तो पचास रुपये तक की बकाया रकम का तो केश डिपॉजिट होता है लेकिन 50 रुपये से ज्यादा की बकाया रकम का बुक एडजस्टमेंट होता है जिसे कंसन्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इधर ट्रान्सफर करता है लेकिन चूँकि ए० जी० एकाउंट आफिस का प्रोसीज्योर ठीक नहीं है इसलिए उनका ट्रान्सफर नहीं होता है। क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो राशि बतलाई गई है उसमें से कितनी राशि ऐसी है जिसके बारे में डुप्लिकेट बिल भेजने की शिकायतें हैं ?

श्री शेर सिंह : इसके लिए नोटिस चाहिए । हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की कठिनाई बतलाई गई है वह न हो ।

श्री राम चरण : मैं भी अकाउंट्स सेक्शन में था । डुप्लिकेट बिल आता था और दो तीन साल तक बुक ऐडजस्टमेंट नहीं हो पाता था ।

श्री भोला नाथ मास्टर : मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनकी 500 रु० तनख्वाह में से पालियामेंट ने 285 रु० काट लिये, और वह चार महीने से लेकर 9 महीने तक के काटे हैं । जब 3600 काल परमिटेंड थीं उस समय ऐसा नहीं किया गया था लेकिन अब 5400 काल परमिटेंड हो गई हैं तब यह रुपया काट लिया गया है । अगर हमारी काल ज्यादा होती है तब हमको हर महीने बिल मिलना चाहिए ताकि अगले महीने हम सतर्क रहें । यह नहीं कि उठा कर चार-छः महीने का हिसाब लगाकर भेज दिया । मेरे नाम हैदराबाद को ट्रंककाल का बिल आ गया था । जब मैंने कम्प्लेंट की तब उसको रिफंड कर दिया गया । यह भी इसी तरह से पेंसा रिफंड किया जाना चाहिये जो 285 रु० पालियामेंट की तरफ से काट लिया गया है ।

MR. SPEAKER : This is a question of general public importance and not of Master Bhol Nath's bills. Kindly send your complaint to the Minister. He need not reply to it here.

श्री रामावतार शास्त्री : जो टेलिफोन काटे जाते हैं उसका ज्यादातर कारण यह होता है कि लोगों को समय पर बिल नहीं मिल पाते हैं । उनके टेलिफोन टेलीफोन अधिकारी आकर काट देते हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो आपके टेलीफोन के ग्राहक हैं उनको बिल मिल जाया करे, जब तक आप यह पता न लगाले कि बिल मिला है या नहीं तब तक उनके टेलीफोन न काटें । अक्सर ऐसा ही होता है । मैं पटना टेलीफोन ऐडवाइजरी कमेटी का मेम्बर हूँ । उस कमेटी में इस तरह की बहुत-सी बातें

आती हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या गारंटी देते हैं कि उनको बिल मिल जायेंगे ? जब तक उनको बिल न मिल जायें तब तक उनके टेलीफोन नहीं काटे जाने चाहियें । बहुत बार ऐसा होता है कि बिल न मिलने पर भी कनेक्शन काट दिये जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : रजिस्टर्ड जाने चाहियें ।

श्री शेर सिंह : हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर सब्स्क्राइबर को मालूम हो कि कब बिल पहुँचना चाहिए और कब पेमेंट होना चाहिये । हमने यह डाइरेक्टरीज में लिखा हुआ है कि फलां नम्बर से फलां नम्बर तक के बिल महीने की इस तारीख तक आने वाले हैं । हमने पहले से यह सूचना दे रखी है । इसके बाद भी जब बिल जाते हैं तब पन्द्रह दिन के अन्दर पेमेंट करना होता है । जब पन्द्रह दिन बीत जाते हैं तब भी हम टेलीफोन करते हैं । उसके बाद एक और हफ्ता देते हैं । इसलिए आम तौर पर ऐसी बात नहीं है । लेकिन बहुत से कारण और घट जाते हैं जिनके कारण बिल नहीं पहुँच पाते हैं । अगर कहीं ऐसा हो तो भी काफी समय रहता है । 22 दिन का समय रहता है । जिसको बिल न मिले वह आ सकता है और कह सकता है क्योंकि सबको मालूम रहता है कि किस तारीख को किसका बिल आयेगा ।

विज्ञापनों में नग्नता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति

+

\*215. श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विज्ञापनों में नग्नता तथा कामोत्तेजना की बढ़ती हुई प्रवृत्ति की ओर दिलाया गया है; और